दिनांक 21 मई 2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

# आकाशगंगा सब्जी मंडी में अधिक समय तक वाहन खड़ा कर सड़क बाधा करने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगाया जुर्माना

भिलाई नगर/ आकाशगंगा थोक सब्जी मार्केट मे आज प्रातः सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले तथा अधिक देर तक वाहन खड़ा कर सड़क बाधा करने वाले मोबाइल एवं सब्जी व्यवसायी से जुर्माना वसूला गया! रोजाना प्रातः कॉल से निगम के अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मी आकाश गंगा सब्जी मार्केट में व्यवस्था बनाने के तहत उपस्थित होते है , इस थोक सब्जी बाजार पर निगम सतत निगरानी रख रही है! सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने पूरी तरह से अधिकारी/कर्मचारी मुस्तैद है आने जाने वाले क्रेता एवं विक्रेताओं पर नजर है , उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा सहित राजस्व विभाग की टीम यहां पर सुबह से निगरानी रखने मौजूद रहते है! आज निरीक्षण के दौरान ऐसे व्यवसायी जो बड़े वाहनों को अधिक समय तक खड़ा कर सड़कबाधा कर रहे थे उनसे 2000 रुपए जुर्माना वसूला गया, टीम के निरीक्षण के दौरान रोहित मोबाइल दुकान के संचालक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था जिस पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया! इसके अतिरिक्त टीम द्वारा संजय नगर , सर्कस मैदान, स्मृति नगर, राधिका नगर, नेहरु नगर सहित लक्ष्मी मार्केट सुपेला का निरीक्षण किया गया! आकाश गंगा सब्जी मंडी में खरीदारी करने आने वाले क्रेताओ के मास्क को भी देखा जा रहा है जो क्रेता मास्क नहीं पहन कर आ रहे हैं उन्हें हिदायत देकर मास्क पहनने कहा जा रहा है! निगम के अधिकारी/कर्मचारी सब्जी मंडी में आने वाले लोगों को मास्क लगाकर प्रवेश की जांच करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है! सुबह 4:00 बजे से तैनात रहकर व्यापारियों को प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करवा रही है तथा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे व्यापारियों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है! अधिक समय तक मंडी परिसर में बड़े एवं मंझोले वाहन खड़े करने वाले व्यापारियों से अब तक 10000 रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है साथ ही बिना मास्क पहनकर आए हुए लोगों को भी समझाइश देकर अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की जा रही है! निर्धारित समय के पश्चात भी मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है!

निगम की अपील उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने मंडी व्यापारियों से अपील की है कि लॉक डाउन के दौरान नियमों का पालन करें, वाहनों को मंडी परिसर से बाहर पार्किंग करें , आपसी खरीदारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क लगाकर ही मंडी में प्रवेश करें!

कुमार गुप्ता
कुमार साव